राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

पत्र संख्या–पं०नि० 30–18/2024 1565

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
वैशाली।

पटना, दिनांक– 23.3.24

विषयः– ग्राम पंचायत उप मुखिया के रिक्त पद पर निर्वाचन के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक 308 दिनांक 06.02.2024, पत्रांक 454 दिनांक 21.02.2024, पत्रांक 451 दिनांक 21.02.2024, पत्रांक 450 दिनांक 21.02.2024 एवं पत्रांक 310 दिनांक 06.02.2024

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र से आयोग को प्रखंड वैशाली ग्राम पंचायत चकअल्हदाद के उप मुखिया, प्रखंड जन्दाहा ग्राम पंचायत खोपी के उप मुखिया, प्रखंड राजापाकर ग्राम पंचायत मीरपुर पताढ़ के उप मुखिया, प्रखंड वैशाली ग्राम पंचायत मझौली के उप मुखियस एवं प्रखंड बिदुपुर ग्राम पंचायत दाउदनगर के उप मुखिया के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के फलस्वरूप पद रिक्त होने एवं तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।

2. आयोग द्वारा बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 121 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के संगत प्रावधानों तथा आयोग के पत्रांक 8964 दिनांक 18.12.2021 द्वारा निर्गत सामान्य दिशा–निर्देशों के अधीन **निम्न कार्यक्रम के अनुसार उप मुखिया का निर्वाचन संपन्न कराने का निदेश दिया गया है :–**

प्रखंड का नाम	ग्राम पंचायत/ग्राम कचहरी	रिक्त पद का नाम	निर्वाचन हेतु निर्धारित तिथि
वैशाली	चकअल्हदाद	उप मुखिया	13.04.2024
	मझौली	उप मुखिया	15.04.2024
जन्दाहा	खोपी	उप मुखिया	13.04.2024
राजापाकर	मीरपुर पताढ़	उप मुखिया	13.04.2024
बिदुपुर	दाउदनगर	उप मुखिया	13.04.2024

3. कृपया उप मुखिया के निर्वाचन हेतु विशेष बैठक की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना विहित प्राधिकारी द्वारा प्रपत्र 24 में ससमय निर्गत करा दी जाए तथा यह सुनिश्चित कराया जाए कि उप मुखिया के निर्वाचन हेतु दिनांक **05.04.2024** तक सूचना सभी संबंधित प्रखंड के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सभी सदस्यों को निश्चित रूप से प्राप्त हो जाए। **निर्वाचन संपन्न हो जाने के तुरंत बाद उसी दिन निर्वाचित उप मुखिया को सक्षम प्राधिकारी द्वारा शपथ ग्रहण भी करा दी जाएगी।**

4. निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया संचालित करने हेतु **आयोग का निदेश है कि अपने जिला के अपर समाहर्त्ता स्तर/उप सचिव स्तर एवं समकक्ष स्तर के पदाधिकारी को चुनाव हेतु प्रेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाए।** प्रतिनियुक्त पदाधिकारी का नाम/पदनाम/मोबाइल संख्या एवं अन्य सूचना संलग्न विहित प्रपत्र में आयोग को दिनांक **03.04.2024** के पूर्व उपलब्ध करा दिया जाए। **प्रतिनियुक्त पदाधिकारी पूरी निर्वाचन प्रक्रिया पर संबंधित अधिकारियों की भूमिका सहित एक आत्मभारित प्रतिवेदन आयोग को निर्वाचन समाप्त होने के बाद उसी दिन संध्या तक संलग्न विहित प्रपत्र (प्रेक्षक का प्रतिवेदन) में निश्चित रूप से समर्पित करेंगे।** विधि व्यवस्था संधारण हेतु इस पत्र की प्रति पुलिस अधीक्षक, वैशाली को भी दी जा रही है।

5. उप मुखिया के निर्वाचन की **सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी** सही समय एवं तिथि अंकित करते हुए की जाएगी। विडीयोग्राफी की एक प्रति आयोग को निर्वाचन के पश्चात दो दिनों के अन्दर उपलब्ध करा दी जायगी।

6. कृपया निर्वाची पदाधिकारी एवं प्रेक्षक को निदेश दिया जाय कि वे आयोग के पत्रांक 8964 दिनांक 18.12.2021 का अध्ययन अवश्य कर लें ताकि उप मुखिया के निर्वाचन में किसी तरह की भूल या अनियमितता नहीं हो सके।

7. अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए आयोग को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
23/3/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक पं०नि० 30–18/2024– 1565
पटना, दिनांक – 23.3.24

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक (चुनाव प्रशाखा) पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार/अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना/आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर एवं पुलिस अधीक्षक, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/3/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।

23.3.24

Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847, E-mail: secbihar@gmail.com secbihar@gmail.com

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

1566 I

पत्र संख्या–प0नि0 30–18/2024

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
वैशाली।

पटना, दिनांक– 23.3.24

विषय :– प्रखंड जन्दाहा ग्राम पंचायत हरप्रसाद, प्रखंड पातेपुर ग्राम पंचायत टेकनारी एवं मौदह चतुर के उप मुखिया के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के संबंध में।

प्रसंग:– आपका पत्रांक 321 दिनांक 07.02.2024, पत्रांक 452 दिनांक 21.02.2024 एवं पत्रांक 453 दिनांक 21.02.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के फलस्वरूप रिक्त पद पर निर्वाचन कराने हेतु आयोग को प्रतिवेदन/प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं, जिनके समीक्षोपरान्त पाया गया कि जन्दाहा प्रखंड ग्राम पंचायत हरप्रसाद के उप मुखिया के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव संबंधी सूचना निर्धारित समय के अनुसार निर्गत नहीं है तथा प्रखंड पातेपुर ग्राम पंचायत टेकनारी एवं मौदह चतुर के उप मुखिया के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव संबंधी सूचना नोटिस में कारण/आरोप अंकित नहीं की गई है, जो बिहार पंचायत राज संस्था (कार्य संचालन) नियमवली 2015 के नियम 06 (I) का उल्लंघन है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि संदर्भित विषय में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 157 के तहत् वैधानिक परीक्षण के उपरान्त प्रस्ताव भेजने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
23/3/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847, E-mail: secbihar@gmail.com